निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 121) पटना, सोमवार, 8 फरवरी 2016

सं0 **08/आरोप–01–43/2015,सा०प्र०—113**
सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

5 जनवरी 2016

श्री राजदेव शर्मा, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–450/99, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा के अस्थायी प्रभार में रहते हुए पशुपालन घोटाले से संबंधित प्रस्तुत अनियमित विपत्र को पारित करने के आरोप के लिए सी०बी०आई० द्वारा कांड सं०–आर०सी०–34(ए)/96 दर्ज किया गया। सी०बी०आई० द्वारा श्री शर्मा को उक्त आरोप के लिए दिनांक 02.09.1998 को न्यायिक हिरासत में लिया गया, जहाँ वे दिनांक 10.04.1999 तक न्यायिक हिरासत में रहे। उक्त अवधि के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 9 (2) के तहत औपचारिक रूप से कोई निलंबन आदेश निर्गत नहीं हुआ। फलस्वरूप श्री शर्मा को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं हुआ एवं इस अवधि का विनियमन नहीं हो सका।

2. श्री शर्मा के विरूद्ध सी०बी०आई० द्वारा अभियोजन की माँग की गयी जिसके आलोक में विधि विभाग के आदेश ज्ञापांक–1308, दिनांक 18.04.1998 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति दी गयी। श्री शर्मा के विरूद्ध उक्त कांड दर्ज होने एवं वित्तीय नियमावली के उल्लंघन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7025, दिनांक 03.09.2002 द्वारा निलंबित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सं०–58/2005 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2005 को पारित आदेश के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों की प्रकृति, इनके निलंबन अवधि 3 वर्षो से अधिक ब्यतीत होने, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ नहीं होने तथा उनके विरूद्ध लंबित आपराधिक मामले में निर्णय होने में समय लगने की संभावना को देखते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–8969, दिनांक 01.10.2005 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया। परन्तु उक्त अवधि के विनियमन के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

3. सी०बी०आई० कार्यालय के पत्रांक–591, दिनांक 05.02.2015 द्वारा यह सूचना दी गयी कि श्री शर्मा के विरूद्ध दर्ज सी०बी०आई० कांड सं०–34 (ए)/96 में माननीय सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा श्री शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा–13 (2) सह पठित धारा–13 (1) (d) (2) के तहत तीन वर्षो का कठोर कारावास तथा 2,75,000.00 (दो लाख पचहत्तर हजार रूपये) का अर्थ दंड एवं भारतीय दंड संहित की धारा–420 के तहत तीन वर्षो का कठोर कारावास तथा 10,000.00 (दस हजार रूपये) का अर्थ दंड की सजा दी गयी है। दोनों सजा साथ–साथ चलनी है, अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में छः माह की अतिरिक्त कारावास की सजा उन्हें भुगतनी है।

4. सी०बी०आई० से सक्षम न्यायालय द्वारा श्री शर्मा को दोषसिद्ध पाते हुए दंडित किये जाने की सूचना प्राप्त होने के फलस्वरूप श्री शर्मा को समुचित दंड दिये जाने एवं हिरासत अवधि तथा निलंबन अवधि के विनियमन के विषय पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में न्यायिक कार्यवाही में दोषसिद्ध पाये जाने के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली के सुसंगत प्रावधान के तहत पेंशन/उपदान अवरूद्ध करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक–12608, दिनांक 26.08.2015 द्वारा श्री शर्मा से कारण पृच्छा की गयी। साथ ही निलंबन अवधि एवं हिरासत अवधि के संबंध में भी पत्रांक–12609, दिनांक 26.08.2015 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। श्री शर्मा ने अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक 03.09.2015 एवं पत्रांक–01, दिनांक 03.09.2015 द्वारा कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया।

5. श्री शर्मा द्वारा समर्पित कारण पृच्छा उत्तर के सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि वे कोषागार पदाधिकारी के अस्थायी एवं अल्प अवधि के प्रभार में थे, परन्तु उनके द्वारा पारित विपत्र के कारण अनियमितता घटित हुई जिसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोषी पाये गये। साथ ही उन्हें न्यायालय द्वारा आरोप को प्रमाणित पाते हुए सजा दी गयी है। श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं है।

6. वर्णित स्थिति में सी०बी०आई० न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश, विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (ए) के संगत प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नांकित दंड दिये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) श्री शर्मा के पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की कटौती,

(ii) दिनांक 02.09.1998 से दिनांक 10.04.1999 तक के न्यायिक हिरासत की कुल अवधि के लिए उन्हें निलंबित मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

(iii) दिनांक 03.09.2002 से दिनांक 30.09.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

7. राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री राजदेव शर्मा, (बि०प्र०से०) कोटि क्रमांक–450/99, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त, पुत्र–स्व० प्रसिद्ध नारायण सिंह, मोहल्ला–नूतन नगर, पोस्ट–तेतरिया हाउस, थाना–सिविल लाईन्स, गया जिला–गया को उक्त वर्णित प्ररिपेक्ष्य में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) श्री शर्मा के पेंशन से 25 प्रतिशत पेंशन की कटौती,

(ii) दिनांक 02.09.1998 से दिनांक 10.04.1999 तक के न्यायिक हिरासत की कुल अवधि के लिए उन्हें निलंबित मानते हुए उक्त अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

(iii) दिनांक 03.09.2002 से दिनांक 30.09.2005 तक के निलंबन अवधि के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान देय होगा। इस अवधि को अन्य प्रयोजनों के लिए सेवा अवधि मानी जायेगी।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 121-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in